

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

हुक्म

22 पत्रावली आज जार्जी एवं वकील जार्जी द्वारा
उपास्थित डाक्टर जार्जना पत्र प्रस्तुत करने
पर पेशी में ली गई। जार्जी द्वारा जार्जना
पत्र प्रस्तुत कर लोक अदालत की भावना से
राजीनामा हो जाने के कारण जरिये विद्वां
निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है।
चूंकि वाद पत्रावली जरिये विद्वां खारिज
किया जा चुका है अतः अब जार्जना पत्र
पत्रावली में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं
रह जाती है।

जार्जना पत्र पत्रावली में जरिये विद्वां
खारिज की जाती है एवं अस्थायी निशेध द्वारा
आदेश क्रमांक 393 दिनांक 16-06-2017 की
निरस्त किया जाता है।

पत्रावली फेसल शुमार होकर दखल जाया
दाखिल दफ्तर हो निर्णय आज दिनांक -
21/12/2022 को सुनाया गया।

42
उपजुद्ध अधिकारी
कोलकाता जिला-बीकानेर